

संपादकीय

उदयपुर एक्सप्रेस दैनिक

जीवन का कोई भी क्षण आखिरी हो सकता है। इसलिए शुभ क्षणों को टालो मत भगवान महावीर

युवा शक्ति का ख्याल

वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में जिस एक मुद्दे पर काफी ध्यान दिया गया है, वह है युवाओं को रोजगार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 लाख करोड़ के खर्च से तीन योजनाएं शुरू करने का वादा किया है, जिनसे 4.1 करोड़ युवाओं को फायदा होने का दावा किया गया है। इनमें रोजगार के साथ कौशल विकास भी शामिल है। कौशल विकास के लिए देश की 500 बड़ी कंपनियों में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं की इंटरशिप का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना को कामयाब बनाने के लिए सरकार अपनी ओर से आर्थिक मदद तो देगी ही, कंपनियों को भी सीएसआर फंड से ट्रेनिंग पर खर्च करने की इजाजत दी गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ राज्यों में रोजगार के मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। ऐसा लगता है, उससे सबक सीखते हुए एनडीए सरकार ने इन योजनाओं का एलान किया है। इसके साथ, एनडीएसहयोगियों जेडीयू और टीडीपी को भी बजट घोषणाओं के जरिये खुश करने की कोशिश दिखी। अंतिम बजट के बाद मध्य वर्ग को भी रियायतें नहीं मिलने की शिकायत आई थी। वित्त मंत्री ने 2024-25 के पूर्ण बजट में उसे भी दूर किया है। उन्होंने सैलरीड एंजॉयमेंट के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने के साथ न्यू टेक्स रिजोम के टेक्स स्लेब में बदलाव करके इस वर्ग को राहत दी है। पिछले वित्त वर्ष में दो तिहाई टेक्सपेयर्स न्यू टेक्स रिजोम में थे, इसलिए इसका फायदा काफी लोगों को मिलेगा। आशा है कि इससे कंजमशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों को घर के मद में सरकार 2.2 लाख करोड़ रुपये की मदद देगी, जबकि इस पर कुल खर्च 10 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। पिछले कई बजट से इस सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस बना रहा है। वित्त मंत्री ने इसके लिए 11.11 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव रखा है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। पिछले वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की वजह से ही देश की आर्थिक विकास दर ऊंची बनी हुई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस इस बात से भी जाहिर होता है कि वित्त मंत्री ने आने वाले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए मजबूत वित्तीय मदद मुहैया कराने का वादा किया। इस सिलसिले में केंद्र की ओर से राज्यों की भी वित्तीय मदद जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं, बजट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टेक्स में बढ़ोतरी के एलान के बाद बेंचमार्क इंडेक्स सेसेक्स और निफ्टी में अच्छी ग्राइवट आई थी, लेकिन जब बाजार बंद हुआ, तब ये कमोबेश सोमवार के लेवल के करीब रहे। हालांकि, मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में कमजोरी कुछ ज्यादा रही। प्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर भी टेक्स में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बारे में पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, कुछ फाइनेंशियल असेसर्स पर कैपिटल गेन्स से छूट को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना किया गया है। यू.टो निवेशकों को टेक्स बढ़ने से निराशा हुई है, लेकिन फिस्कल कंसॉलिडेशन जारी रहने से खासतौर पर विदेशी निवेशक और रेटिंग एजेंसियां खुश होंगी। वहीं, वित्त मंत्री ने एंजेल टेक्स खत्म करने का एलान किया है, जो स्टार्टअप निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। इसके साथ वित्त मंत्री ने अगले दौर के रिफॉर्म का भी वादा किया है। अगर वह लैंड और लेबर जैसे क्षेत्रों में रिफॉर्म के वादे को पूरा कर पाती हैं तो उससे निश्चय ही ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी।

रोबोटिक्स प्रतियोगिता 'रोबोत्सव' को छात्रों से मिली शानदार प्रतिक्रिया

उदयपुर (कास)। जाने-माने दूरसंचार सेवा प्रदाता वी की सीएसआर शाखा वी फ्रन्ट-डेन्शन में एक्सट्रिम इंडिया और मोडर्न फ्रन्ट-डेन्शन ने राजस्थान सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय इंटर-स्कूल प्रतियोगिता रोबोत्सव का समर्थन आयोजन किया। 50 स्कूलों ने रोबोटिक्स प्रदर्शनी एवं रोबोटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।

न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर (राज.)

उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना-पत्र

प्रकरण संख्या: 60/2024 मु.दी. 38

विजय सिंह कितावत पिता स्व. श्री मान सिंह कितावत जाति राजपूत निवासी 277, चित्रकूट नगर, भुवाणा जिला उदयपुर ...प्रार्थी

बनाम् ...अप्रार्थीगण

भंवर सिंह व अन्य
मृतक स्व. श्री मगन सिंह पिता राधू सिंह राजपूत निवासी चित्रकूट नगर, भुवाणा उदयपुर की प्रतिभूति के सम्बन्ध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 धारा 372 के अन्तर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र।

वास्तु:- सर्वसाधारण
उक्त नामांकित प्रार्थी/प्रार्थीगण ने मृतक स्व. श्री मगन सिंह के नाम की ऋण और प्रतिभूति की राशि हेतु उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

सूचित रहे कि उक्त मामले की सुनवाई हेतु इस न्यायालय में पेशी दिनांक 04.10.24 को समय 10 ए.एम. नियत की गई है। अतः सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रार्थना-पत्र के खिलाफ अगर कोई आपत्ति रखता है तो उक्त दिनांक को कारण प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की स्थिति में मामले में एक पक्षीय कार्यवाही व सुनवाई की जाकर उसके अनुरोध आदेश पारित किया जावेगा। नोट: प्रार्थी ने मृतका के एस.बी.आई. शाखा चित्रकूट नगर, उदयपुर के खाता संख्या 51018213295 में जमा राशि 8,03,456/- प्राप्त करने बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 24-07-2024 को जारी किया गया।

आज्ञा से

मोहर बरिष्ठ मुंसरीम, जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर (राज.)

न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर (राज.)

उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना-पत्र

प्रकरण संख्या: 59/2024 मु.दी. 38

विजय सिंह कितावत पिता स्व. श्री मगन सिंह कितावत जाति राजपूत निवासी 277, चित्रकूट नगर, भुवाणा जिला उदयपुर ...प्रार्थी

बनाम् ...अप्रार्थीगण

भंवर सिंह व अन्य
मृतक स्व. श्रीमती निर्मला कुंवर पति मगन सिंह कितावत निवासी 277, चित्रकूट नगर, भुवाणा उदयपुर की प्रतिभूति के सम्बन्ध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 धारा 372 के अन्तर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र।

वास्तु:- सर्वसाधारण
उक्त नामांकित प्रार्थी/प्रार्थीगण ने मृतका स्व. श्रीमती निर्मला कुंवर के नाम की ऋण और प्रतिभूति की राशि हेतु उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

सूचित रहे कि उक्त मामले की सुनवाई हेतु इस न्यायालय में पेशी दिनांक 04.10.24 को समय 10 ए.एम. नियत की गई है। अतः सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रार्थना-पत्र के खिलाफ अगर कोई आपत्ति रखता है तो उक्त दिनांक को कारण प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की स्थिति में मामले में एक पक्षीय कार्यवाही व सुनवाई की जाकर उसके अनुरोध आदेश पारित किया जावेगा। नोट: प्रार्थी ने मृतका के एस.बी.आई. शाखा चित्रकूट नगर, उदयपुर के खाता संख्या 34234954903 में जमा राशि 3,37,456/- प्राप्त करने बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 24-07-2024 को जारी किया गया।

आज्ञा से

मोहर बरिष्ठ मुंसरीम, जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर (राज.)

समाजसेवी ने अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर किया 101 पौधारोपण

उदयपुर एक्सप्रेस/

धरियावाद। समाजसेवी विमल

पालीवाल परिवार द्वारा 10 माह पूर्व

तीर्थ यात्रा के दौरान भीषण सड़क

हदसे में दुर्घातिका घटना के दौरान

अपनी तीनों बेटियों को निधन एक

साथ होने के पश्चात उनकी स्मृति में

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

केसरपुरा प्रांगण में दिवंगत कीर्तिशे

मंझली बेटी छवि पालीवाल के

जन्मोत्सव पर स्वर्गीय प्रेमनारायण

व स्वर्गीय श्यामसुंदर पालीवाल एवं

दोनों पुत्रियों को याद करते हुए

आयोजित समारोह में विद्यालय द्वारा

रिजर्व परिसर मऊ महादेव में विभिन्न

प्रजाति के 101 पौधारोपण किया गया

तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं को

एक एक पौधा गोद रखकर पौधे को

वृक्ष तक बढ़ा करने का संकल्प दिलाया

गया। इस दौरान स्वर्गीय छवि

पालीवाल की माता स्वर्गिमा, पिता

विमल पालीवाल, दादी पुष्पाजदेवी



व उषा देवी तथा नानी पुष्पादेवी, नाना

पुरुषोत्तम भवानीमंडी, पियुष व

कल्पना सहित परिवारजनों ने

श्रृंखलाजलि दी। तीनों दिवंगत कीर्तिशे

बालिकाओं की याद में विद्यालय के

छात्र छात्राओं को गणवेश, पुस्तकें

तथा अन्य सामाजिक सरोकार के कार्य

करने की घोषणा की। प्रधानाचार्य

पुष्पेन्द्रसिंह राठौड़ ने बताया कि

खंड मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल बलवंतसिंह राव,

अध्यक्षता खंड मुख्य ब्लॉक शिक्षा

अधिकारी विरेन्द्रसिंह शकावत,

विशिष्ट अतिथि सरपंच प्रतिनिधि

खोनुराम मीणा व शंकरलाल मीणा

लोहागढ़, रघुवीरसिंह राव, पूर्व सरपंच

वेणीराम मीणा, केसरपुरा संस्था प्रधान

प्रभुलाल, लेम्पस सदस्य शांतिलाल ने

उपस्थित छात्र छात्राओं को पौधारोपण

की आवश्यकता व पर्यावरण के बारे

में जानकारी दी। समारोह का संचालन

पुष्पेन्द्रसिंह ने करते हुए बताया कि

खंड मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विरेन्द्रसिंह शकावत के नेतृत्व में शिक्षा

विभाग 2 लाख 17 हजार 340 पौधे

लगाने का टारगेट दिया है।

लियो क्लब यूथ विंग का

पदस्थापना समारोह आयोजित

उदयपुर (कास)। लायंस

क्लब लेकसिटी उदयपुर के लायंस

भवन में लियो क्लब यूथ विंग का

पदस्थापना समारोह आयोजित किया

गया। लियो एडवाइजर डॉ. मीना जैन

बाबेल ने बताया कि क्लब की यूथ

विंग लियो क्लब के पदाधिकारी का

पदस्थापन रीजन चेररपर्सन

के.वी.रमेश द्वारा कराया गया। उन्होंने

नेहल कोठारी अध्यक्ष, सिद्धक दीगरा

सचिव, राजस्वी राव कोषाध्यक्ष, प्रथम

उपाध्यक्ष निलय आंचलिया, निदेशक

2 वर्ष हेतु रुद्र प्रताप सिंह चौहान,

हर्षदीप सिंह बाबेल, आयुष गुप्ता, सुश्री

मनस्वी राव, सौम्या दक, निदेशक 1

वर्ष हेतु, प्रतीक आंचलिया, सुश्री भूमि

वाही, हर्षुल सिरिया, आयुष बारगेचा

, गुरमेश दीगरा को कर्तव्य बोध

कराकर पदस्थापन कराया।

हरियाली अमावस्या पर दो

दिवसीय मेला 4-5 अगस्त को

उदयपुर (कास)। उदयपुर शहर

में हरियाली अमावस्या के अवसर पर

4 व 5 अगस्त को फतहसागर की पाल

व सहैलियों की बाड़ी पर मेला आयोजित

होगा। इस अवसर पर उदयपुर शहर

सहित आसपास के गांव से बड़ी संख्या

में मेलाधी भाग लेंगे।

राज्यपाल राधाकृष्णन 25 को

उदयपुर आकर जोधपुर जाएंगे

उदयपुर (कास)। तेलंगाणा,

झारखंड के माननीय राज्यपाल एवं

पुडुचेरी के उपराज्यपाल सी.पी.

राधाकृष्णन गुरुवार 25 जुलाई को

वायुमय से हैदराबाद से उदयपुर

आएंगे और यहां से जोधपुर के लिए

प्रस्थान कर जाएंगे।

उदयपुरवासियों ने हमें

बहुत कुछ दिया

उदयपुर (कास)। जोधाणा

पब्लिसिटी की ओर से शहर के बी

एन कॉलेज ग्राउंड में चल रहे सबसे

बड़े अंडरवाटर फिश टनल के साथ

ही शांति महाकुंभ अब अपने अंतिम

चरण में है। मेला व्यापारियों ने

शहरवासियों का आभार ज्ञापित किया

कि उन्होंने इस मेले में हमें प्यार, स्नेह

सहित बहुत कुछ दिया है। यहां पर

लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा

रही है। खासकर महिलाएं एवं बच्चे

अंडरवाटर फिश टनल को देख कर

खंडसे रोमांचित हो रहे हैं।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: उविप/नियमन रि.कां.2024/2177

दिनांक: 07.06.24

आम सूचना

निम्न आवेदनकर्ताओं द्वारा अपने भूखण्डों का वारिसान के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

क्र. सं. भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल राजस्व ग्राम आवेदक का नाम/ पिता का नाम मृतक का नाम/ दस्तावेज

1. 2-A 2014 उदयपुर शहर खसरा नं. 1619, 1621मी/1, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1621/4, 1622, 1623/1, 1624/1, 1625/1, श्रीमती पुंजी बाईं पत्नी स्व. श्री नवलचन्द जैन, श्री धूलचंद जैन पिता स्व. श्री नवलचन्द जैन एवं श्री मांगीलाल जैन पिता स्व. श्री नवलचन्द जैन

श्री नवलचन्द जैन पिता श्री नवलचन्द जैन का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 4.9.2017


अतः उपरोक्तसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/कर्म को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति/एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर संबंधित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण पत्र/लीनड्रीड जारी किया जा सकेगा।

(डॉ. अजित शर्मा), सहस्रीलदार उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

(THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.) INITIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES ON THE NSE EMERGE IN COMPLIANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").



(Please scan this QR Code to view the RHP)



ESPRIT STONES LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Esprit Stones Private Limited', a private limited company under Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated October 19, 2016 issued by the Central Registration Centre. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our shareholders at an Extra-ordinary General Meeting held on January 12, 2024 and a fresh certificate of incorporation dated February 5, 2024 was issued by the Registrar of Companies, Rajasthan at Jaipur consequent upon conversion, recording the change in name of our Company from 'Esprit Stones Private Limited' to 'Esprit Stones Limited'. For details of change in the name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 174 of the Red Herring Prospectus dated July 19, 2024.

Registered Office: SP1, Udyog Vihar, Sukher Industrial Area, Udaipur - 313 004, Rajasthan, India. Corporate Office: Khasra No. 1106 - 1109, Revenue Village Bhiwada, Kukdeshwar Mahadev Road, Udaipur - 313 001, Rajasthan, India. Contact Person: Anjali Pandey, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 91166 52582; E-mail: legal@espritstones.com; Website: www.espritstones.com; Corporate Identity Number: U74999RJ2016PLC056284

The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE.

OUR PROMOTERS: SUNILKUMAR LUNAWATH, NITIN GATTANI, PRADEEPKUMAR LUNAWATH, SANGEETA GATTANI, ANUSHREE LUNAWATH AND SIDDHANTH LUNAWATH

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 57,95,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF ESPRIT STONES LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹(●) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹(●) PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹(●) LAKHS (THE "ISSUE") OF WHICH 2,91,200 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹(●) LAKHS (CONSTITUTING UP TO 1.33% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION") AND UP TO 1,28,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹(●) LAKHS (CONSTITUTING UP TO 0.58% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO (●)% (EQUIVALENT OF ₹ 5 PER EQUITY SHARE) TO THE ISSUE PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING UNDER THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION AND EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HERINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.41% AND 24.50% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

PRICE BAND: ₹ 82 TO ₹ 87 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH

THE FLOOR PRICE IS 8.20 TIMES OF THE FACE VALUE AND THE CAP PRICE IS 8.70 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1600 EQUITY SHARES THEREAFTER

A DISCOUNT OF ₹ 5 PER EQUITY SHARE IS BEING OFFERED TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION

ADDENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS

NOTICE TO THE INVESTORS ("THE ADDENDUM")

This addendum is with reference to the Red Herring Prospectus dated July 19, 2024. In this regard, please note the following:

1. The Heading "Allotment Procedure and Basis of Allotment" under the chapter titled "Issue Procedure" on page 318 of the Red Herring Prospectus shall be read as follows:

ALLOTMENT PROCEDURE AND BASIS OF ALLOTMENT

The Allotment of Equity Shares to Bidders other than Retail Individual Investors may be on proportionate basis. For Basis of Allotment to Anchor Investors, Bidders may refer to RHP. No Retail Individual Investor will be Allotted less than the minimum Bid Lot subject to availability of shares in Retail Individual Investor Category and the remaining available shares, if any will be Allotted on a proportionate basis. The Issuer is required to receive a minimum subscription of 90% of the Issue. However, in case the Issue is in the nature of Offer for Sale only, then minimum subscription may not be applicable.

Flow of Events from the closure of Bidding period (T DAY) Till Allotment:

- On T Day, RTA to validate the electronic bid details with the depository records and also reconcile the final certificates received from the Sponsor Bank for (UPI) Till Allotment and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details.
- RTA identifies cases with mismatch of account number as per bid file / FC and as per applicant's bank account linked to depository demat account and seek clarification from SCSB to identify the applications with third party account for rejection.
- Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T+1 day.
- RTA prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with BRLM(s)/ Company for their review/ comments.
- Post rejection, the RTA submits the basis of allotment with the Designated Stock Exchange (DSE).
- The DSE, post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random number generation software.
- The RTA uploads the drawal numbers in their system and generates the final list of allottees as per process mentioned below:

Process for generating list of allottees:-

- Instruction is given by RTA in their Software System to reverse category wise all the application numbers in the ascending order and generate the bucket/batch as per the allotment ratio. For example, if the application number is 78654321 then system reverses it to 12345687 and if the ratio of allottees to applicants in a category is 2:7 then the system will create lots of 7. If the drawal of lots provided by DSE is 3 and 5 then the system will pick every 3rd and 5th application in each of the lot of the category and these application s will be allotted the shares in that category.

- In categories where there is proportionate allotment, the Registrar will prepare the proportionate working based on the oversubscription times.

- In categories where there is undersubscription, the Registrar will do full allotment for all valid applications.

- On the basis of the above, the RTA will work out the allottees, partial allottees and non-allottees, prepare the fund transfer letters and advice the SCSBs to debit or unblock the respective accounts.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
<p>Choice The Joy of Earning Choice Capital Advisors Private Limited Sunil Pataodia Tower, Plot No. 156-158, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 099, Maharashtra, India Telephone: +91 22 6707 9999 / 7919; E-mail: es</p>	